डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए, अनुमत, अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 157] रायपुर, मंगलवार , दिनांक 24 जुलाई 2001—श्रावण 2, शक 1923

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2001

संशोधन प्रारूप

क्रमांक 3717.—छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) के पृष्ठ क्रमांक 197 पर प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक डी/2172/21-अ (प्रारूपण) 2001 में शब्द तथा अंक भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अधिनियम छत्तीसगढ़ चिकित्सा मण्डल अधिनियम, 2001 (क्रमांक 7 सन् 2001) के स्थान पर शब्द तथा अंक "छत्तीसगढ़ विधान सभा के निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 18-5-2001 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, " स्थापित किया जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. एस. उबोवेजा, उप-सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.